

न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर

क्रमांक : 105-108

दिनांक: 15.04.2020


:- आम सूचना :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (Novel Corona Virus) (COVID-19) को महामारी घोषित करने के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/ पी.आई./2020 दिनांकित 14.04.2020 एव परिपत्र क्रमांक 13/पी.आई./2020 दिनांकित 30.03.2020 की पालना में दिनांक 03.05.2020 तक लंबित सभी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर आगामी तिथि निम्न प्रकार नियत की जाती है।

नियत तिथि	आगामी तिथि
15.04.2020	22.05.2020
16.04.2020	26.05.2020
17.04.2020	27.05.2020
18.04.2020	28.05.2020
20.04.2020	29.05.2020
21.04.2020	30.05.2020
22.04.2020 से 24.04.2020	01.06.2020
27.4.2020 से 30.04.2020	02.06.2020
01.05.2020	03.06.2020
02.05.2020	04.06.2020


परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही CIS पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुये नवीन प्रार्थना पत्र/ आवश्यक प्रकृति के प्रकरण उक्त अवधि में आवश्यक कार्य सम्पादन हेतु नियुक्त किये गये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन अधिकारी महोदय के न्यायालय की ई मेल आई डी पर इस शर्त के साथ पेश कर सकता है कि न्यायालय का नियमित कार्य सुचारू होने के पश्चात ई-मेल पर पेश किये गये प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी पेश कर दी जावेगी।

स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में बाधा बन रहे कोरोना वायरस को दूर कर जड़ से उन्मूलित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें


न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय,
धौलपुर

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धौलपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
4. कार्यालय प्रति।


न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय,
धौलपुर